उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय,

चतुर्थ/पंचम तल, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 ईमेल fshqup@gmail.com ।

पत्र संख्याः–एफ0एस0–1076–2012 दिनांकः–लखनऊ/दिसम्बर 16, 2015

सेवा में,

समस्त संयुक्त निदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

समस्त उपनिदेशक, फायर सर्विस,
परिक्षेत्र व फायर सर्विस मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

समस्त मुख्य/अग्निशमन अधिकारी,
फायर सर्विस, उ0प्र0।

विषयः– अग्निशमन सेवा व्दारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रकिया के निर्धारण के संबंध में।

कृपया माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में योजित याचिका संख्याः–5696(एम0बी0)/2006 के आदेश के क्रम में जारी शासनादेश संख्याः–2130/छः–पु0–8–06 दिनांक 9–10–2006 एवं 1231/छः–पु0–8–09–65(रिट)/06 दिनांक 15–06–2009 में निर्गत निर्देशों के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मुख्यालय स्तर पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था को और अधिक जनोपयोगी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित कर समिति की आख्या प्राप्त की गयी।

2– पुलिस उप महानिरीक्षक, फायर सर्विस श्री रतन कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 28.08.2015 को अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी। समिति की आख्या का मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त अग्निशमन सेवा व्दारा जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रकिया के संबंध में मुख्यालय के पत्र संख्याः–एफ0एस0–1076–2012 दिनांकित 05–10–2012 में आंशिक संशोधन करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निम्नवत प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

(1) 15 मीटर से नीचे भवनों एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रकियाः–सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं उससे ऊपर के अधिकारी व्दारा निर्गत की जायेगी।

(2) 15 मीटर से ऊंचे भवनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रकियाः–

क0सं0	भवन का प्रकार	भवन की ऊंचाई	किस अधिकारी के व्दारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा
1	आवासीय	60 मीटर तक की ऊंचाई के भवन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी व्दारा।
2	आवासीय	60 मीटर से अधिक एवं 75 मीटर तक की ऊंचाई के भवन	उपनिदेशक परिक्षेत्र द्वारा
3	आवासीय	75 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवन	संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा
4	संस्थागत	30 मीटर तक की ऊंचाई के भवन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी व्दारा।
5	संस्थागत	30 मीटर से अधिक एवं 45 मीटर तक की ऊंचाई के भवन	उपनिदेशक परिक्षेत्र द्वारा।
6	संस्थागत	45 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवन	संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा
7	शैक्षणिक	30 मीटर तक की ऊंचाई के भवन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी व्दारा।
8	शैक्षणिक	30 मीटर से अधिक एवं 45 मीटर तक की ऊंचाई के भवन	उपनिदेशक परिक्षेत्र द्वारा।

9	शैक्षणिक	45 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवन	संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा
10	एसेम्बली / बिजनेस / मार्कण्टाइल भवन	30 मीटर तक की ऊंचाई के भवन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा
11	एसेम्बली / बिजनेस / मार्कण्टाइल भवन	30 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवन	उपनिदेशक परिक्षेत्र द्वारा
12	मल्टीप्लेक्स / मेगा शापिंग काम्पलेक्स		शासनादेश संख्याः–1821 / छः–पु0–8–08–65(रिट) / 06 गृह (पुलिस) अनुभाग–8, दिनांक 25–07–2008 के अनुसार निम्न समिति के व्दाराः–

क0सं0	विवरण	समिति के
1.	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	संबंधित जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी	संयोजक
3	संबंधित जनपद के अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
4	प्रस्तावित भवन का नक्शा पास करने हेतु अधिकृत संस्था के वरिष्ठतम अधिकारी या नामित अधिकारी	सदस्य

(3) अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण मूलरूप से इसे निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

(4) उल्लेखनीय है कि भविष्य में Ease of doing Business परियोजना के अन्तर्गत सिंगल विन्डो व्यवस्था प्रदेश के समस्त विभागों द्वारा लागू किया जाना है एवं इस व्यवस्था के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग भी आच्छादित है। इस व्यवस्था को लागू किये जाने के लिये वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन **"ऑन लाइन"** प्राप्त किये जायेगें एवं "ऑन लाइन" ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगें। यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2016 तक लागू किये जाने का लक्ष्य है। स्पष्ट है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिये आवेदन से लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने तक की प्रकिया को पूर्ण रूप से नये सिरे से परिभाषित किया जाना होगा। फलस्वरूप वर्तमान में निर्धारित प्रकिया में यद्यपि विस्तृत परिवर्तन नहीं किया जा रहा है तथापि वर्तमान प्रकिया को पारदर्शी एवं जन उपयोगी बनाने हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें:–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र **"ऑन लाइन"** रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही निर्गत किये जायें।
2. आवेदक द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात् उसे सभी संबंधित अभिलेख उपलब्ध करने हेतु तीन दिवस का समय निर्धारित किया गया है। तीन दिवस के अन्दर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर आवेदक को पुनः नये सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यह व्यवस्था उचित नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात् आवेदक को कभी भी अपने अभिलेख जमा कराने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। आवेदक को तीन दिनों बाद पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नही होनी चाहिये। यदि कोई आवेदक रजिस्ट्रेशन कराकर यूनिक आई0डी0 लेने के बाद अभिलेखों को जमा नही कराता है तो उसकी यूनिक आई0डी0 को निरस्त न किया जाय। मात्र इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय में रख–रखाव किये जा रहे रजिस्टर में तद्नुसार प्रविष्टि कर ली जाय। किसी भी परिस्थिति में किसी यूनिक आई0डी0 को समाप्त न किया जाय ताकि उसकी क्रमबद्वता बनी रहे और उसका अनुश्रवण पारदर्शिता के साथ हो सके।
3. प्रायः आवेदक के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विभिन्न स्तरों से अलग–अलग आपत्तियां लगायी जाती हैं तथा आवेदक से बार–बार आपत्तियों के निराकरण की अपेक्षा की जाती है, यह स्थिति उचित नहीं है। इससे आवेदक का अनावश्यक उत्पीड़न होता है। भविष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त आपत्तियों से आवेदक को एक बार में ही लिखित रूप से अवगत कराया जाय ताकि आवेदक एक बार में ही समस्त आपत्तियों का निस्तारण कर सके। किये गये आपत्ति की एक प्रति संबंधित उच्चाधिकारी को

भी प्रेषित की जाय ताकि व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर सकें कि आवेदक का अनावश्यक आपत्तियां लगाकर परेशान नही किया जा रहा है।

4. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आवेदक अभिलेखों व नक्शों की कापी लेकर आता है तो उसे आवेदन प्रपत्र के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की लिखित सूचना के साथ प्राप्ति की रसीद दी जाय।
5. प्राप्त आवेदन को किस अग्निशमन अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र पर प्रारम्भिक टिप्पणीं करने हेतु भेजी जायगी इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरती जाय। प्रायः मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किसी भी फायर स्टेशन के अधिकारी को इस हेतु नामित कर उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु रिपोर्ट मांग ली जाती है, जो उचित नहीं है। इस प्रकिया को पारदर्शी बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर सभी अग्निशमन अधिकारियों का कार्यक्षेत्र पुलिस क्षेत्राधिकारी के सर्कल के थानों के क्षेत्रानुसार पूर्व से निर्धारित कर दिया जाय ताकि किसी भी आवेदन पर यह निश्चित हो सके कि प्रकरण किस थाना क्षेत्र अथवा पुलिस सर्कल में आता है तथा उस सर्कल से संबंधित अग्निशमन अधिकारी से ही आख्या प्राप्त की जाय।
6. जिला मजिस्ट्रेट/शासन या अन्य कहीं से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो उसे नवीन आवेदन मान कर रजिस्ट्रेशन टिकट जारी करवाया जाये।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने पर तत्काल उसकी एक प्रति संबंधित अग्निशमन अधिकारी को भेजा जाय। अग्निशमन अधिकारी ही 2005 के अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत मौके पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्यवाही हो रही है कि नहीं, चेक करने के लिए उत्तरदायी है।
8. जनहित गारण्टी योजना के अनुसार 15 दिनों के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित किया जाय।
9. एक ही यूनिक आई0डी0 पर आवेदक को अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं निर्माण पूर्ण होने पर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा भविष्य में नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाय और भविष्य के लिये सारे अभिलेख सुरक्षित रखे जाय।
10. निर्गत किये जा रहे सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र व नवीनीकरण की समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर एक मासिक आख्या का प्रारूप तैयार कर लिया जाय। सभी उप निदेशकों के माध्यम से समस्त जनपदों की मासिक आख्या प्राप्त कर समीक्षात्मक आख्या प्रत्येक माह अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
11. अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में सुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की रेण्डम जांच/समीक्षा किये जाने हेतु फायर सर्विस मुख्यालय स्तर पर तकनीकी अधिकारियों की एक समिति गठित होगी। जो अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।

16/12/15

(आलोक प्रसाद)
पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपिः—समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः—

(1) प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
(2) प्रमुख सचिव, आवास एवं विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(3) औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(4) आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा एवं वाई0ई0आई0डी0ए0 जनपद गौतमबुद्धनगर।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

16/12/15

(आलोक प्रसाद)
पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17-12-15

(F-Badri-FSHQ Paid Oct 2015)166